विधानसभा अता.प्र.क्र. 406 परिशिष्ट "अ" [23/2/2026]

शासन की ओर से विधान सभा प्रश्न सं. [क्र. 406] कार्यों हेतु अलग.

क्रमांक / 7678 /री/अपर कले.(शहर)/2022

न्यायालय अपर कलेक्टर, जबलपुर

जबलपुर दिनांक 19 12 2022

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
पर्यावरण परिसर–ई–5 अरेरा कालोनी,
भोपाल।

विषय :– ग्राम बैतला प.ह.नं. 01 तहसील अधारताल जिला जबलपुर स्थित खसरा नम्बर 191/3, 191/4 रकवा 91.843 हेक्टैयर में से 10000 वर्गफुट भूमि का उपान्तरण बाबत।

संदर्भ :– संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 4599 दिनांक 09.11.2022

0000

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। ग्राम बैतला स्थित खसरा नम्बर 191/3, 191/4 रकवा 91.843 हेक्टैयर में से 10000 वर्गफुट भूमि के संबंध में तहसीलदार अधारताल से प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :–

1. संदर्भित पत्र के बिन्दू क्रमांक 1 के संबंध में वर्तमान पटवारी खसरा अभिलेख में खसरा नम्बर 191/3 रकवा 89.820 हेक्टैयर, 191/4 रकवा 2.023 हेक्टैयर कुल रकवा 91.843 हेक्टैयर शामिल रूप से शासकीय दर्ज है। मद परिवर्तन के लिये प्रस्तावित 10,000 वर्गफुट रकवा उक्त दोनों शामिल खसरा नम्बर से 10,000 वर्गफुट रकवा प्रस्तावित किया गया है। यह कि पटवारी नक्शा चालू शीट में खसरा नम्बर 191 के नक्शा बंटाक कायम न होने के कारण नक्शा, परिवर्तन के लिए प्रस्तावित नक्शा लाल स्याही से अंकित किया गया है, जो कि पटवारी शीट प्रस्तावित है।
2. संदर्भित पत्र के बिन्दू क्रमांक 2 के संबंध में लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन स्थल पर पहुंच मार्ग कि औसत चौडाई 22 फुट है।
3. संदर्भित पत्र की बिन्दू क्रमांक 3 के संबंध में लेख है कि उक्त प्रस्ताव मद परिवर्तन से संबंधित वर्तमान में शासकीय मद में दर्ज है खसरे के अनुसार अभी भूमि आवंटन की कार्यवाही नही हुई है। अतः ऐसी स्थित में पटवारी नक्शें में प्रश्नाधीन स्थल का बटांकन किया जाना संभव नहीं है । पटवारी नक्शे में मद परिवर्तन हेतु प्रस्तावित नक्शा लाल स्याही से रेखांकित कर सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :– तहसीलदार प्रतिवेदन, नक्शा, खसरा, टीएनसीपी मैप, नजरी नक्शा

(शेर सिंह मीणा)
अपर कलेक्टर
जबलपुर

क्रमांक / 7678 /री/अपर कले.(शहर)/2022 जबलपुर दिनांक 19 12 2022

प्रतिलिपी – संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर को सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर
जबलपुर

D
19/12/2022

सहायक अनुसंधान अधिकारी
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

वि०स० अता० प्र० ... -406

परिशिष्ट "31"

A.O.M. (W)

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश

पर्यावरण परिसर -ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल
E-mail:mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427094

कमांक 566 / नग्रानि / टी0सी0 / जबलपुर / 107 / 2022 भोपाल, दिनांक 21/01/2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला जबलपुर (म.प्र.)

विषयः- ग्राम बैतला तहसील आधारताल जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 191/3, 191/4, रकबा 91.843 हेक्टेयर में से 10000 वर्गफुट भूमि का उपान्तरण बावत्।

संदर्भः- संचालनालय का पत्र कमांक 4559 दिनांक 09/11/2022 एवं आपके कार्यालय का पत्र कमांक 7678 दिनांक 19/12/2022.

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) (क) अधीन ग्राम बैतला प.ह.नं. 01 तहसील आधारताल जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 191/3, 191/4, रकबा 91.843 हेक्टेयर में से 10000 वर्गफुट भूमि का जबलपुर विकास योजना, 2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग "वृक्षारोपण/नगरवन" से "सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक" उपयोग हेतु उपांतरण चाहा गया है।

प्रश्नाधीन भूमि का जबलपुर विकास योजना, 2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग आमोद-प्रमोद (नगर वन/ वृक्षारोपण) है। आवेदित भूमि आमोद-प्रमोद(नगर वन/ वृक्षारोपण) भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित एक वृहद भूमि का भू-भाग है तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (सामुदायिक भवन) में भूमि उपयोग उपांतरण हेतु न्यूनतम 12.00 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग आवश्यक है।

अतः नगर वन/ वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित भूमि के मध्य एक छोटे से भू-भाग होने के कारण एवं न्यूनतम 12.00 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने से सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग उपांतरण किया जाना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0भोपाल

पृ.कमांक / नग्रानि / टी0सी0 / जबलपुर / 107 / 2022 भोपाल, दिनांक /01/2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0भोपाल

D:\LKI\Jabalpur-107-2022.docx

सहायक अनुसंधान अधिकारी
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश